# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 15/139

गणेश लाल आत्मज स्व0 श्री रामनिवास जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव कॉलोनी उन्धा लिया की डूंगरी तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय**

दिनांकः 03.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, बून्दी जिला - बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम बून्दी की आराजी खसरा नं. 925/266 रकबा 190 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 10 गुना शास्ति एवं पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से 60 दिवस (दो माह) के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 10.01.2014 द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.03.2015 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज कर दी ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट द्वारा आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नहीं था । पूर्व में जारी दखलनामा एवं घटना बही की नकलें प्रस्तुत नहीं की गई थी । इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सजा फरमाने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani,
Date: 2021.01.06 14:02:21 IST
Reason: SelfAttested

त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है, उक्त भूमि पर भीमशंकर का कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में समुचित रूप से जॉच किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील करवाए बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित नहीं था पूर्व का निर्णय, दखलनामा एवं घटना बही की नकलें प्रस्तुत नहीं की गई थी । उसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सजायाब फरमाने में त्रुटि की है । विचारण न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में समुचित रूप से जॉच किये बिना ही उक्त आदेश पारित कर दिया । वादग्रस्त आराजी नगर परिषद बून्दी की सीमा में स्थित है । अतः नगर परिषद बून्दी की लिखित प्रार्थना के बिना तहसीलदार को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिवायचक भूमि है जिसकी किस्म गैर मुमकिन नाला बतलाया जाता है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की लिखित प्रार्थना के बिना तहसीलदार को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है कब्जा भीमशंकर का था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमाई जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है और नगर परिषद की सीमा में है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखे जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:02:21 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा अपने अपील मीमो के बिन्दु संख्या 07 में यह

थन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है वरन् अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा है । ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त आराजी आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं पाया जाता है तो हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलान्ट के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार, बून्दी को भी प्रस्तुत करेगा । शपथ पत्र में यह भी अंकित किया जावे कि अपीलान्ट भविष्य में कभी इस आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार, बून्दी को भेजी जावे । यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । पक्षकारान दिनांक 10.09.2018 को न्यायालय तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी में उपस्थित हों ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/8/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2021.01.06 14:02:21 IST
Reason: SelfAttested

।सावल कारावास से दंडित किये जाने का आदेश सादिर फरमाने मे त्रुटि की